and bulk consumers are also advised from time to time to take similar preventive action. Quality control measures are taken right from the raw water stage upto the consumers end, including random checking of 250—300 samples daily.

दिल्ली विकास प्राधिकरण को किस्तों का भुगतान न किया जाना

1341. **श्री सूर्यभान पाटील वहाडणे:** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गरीब वर्गों के लिए बनाये गये दिल्ली विकास प्राधिकरण के जनता फ्लैटों के संबंध में किस्तों का भुगतान न करने पर लगाये गये भारी जुर्मानों को माफ करने संबंधी घोषणा को लागू करने में विलम्ब क्यों किया जा रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि प्रथम "हायर परवेज पेनल्टी रिलीफ स्कीम 96" के अंतर्गत जुर्मने की राशि में दो तिहाई छूट दी गई थी जिसे बाद में घटा दिया गया; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा सरकार दो तिहाई या उससे अधिक राशि की छूट की घोषणा कब तक करेगी?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि डीडीए के जनता फ्लैटों की किश्तों का भुगतान न करने के कारण लगाए गए भारी जुर्माने में रियायत देने संबंधी उन्होंने कोई घोषणा नहीं की है।

(ख) जी, हां।

(ग) डीडीए ने जुर्माना रियायत स्कीम 1995 और 1996 शुरू की थी जिससे तहत क्रमशः 66% और 50% रियायत दी गई थी। दूसरी, जुर्माने रियायत स्कीम, 1997 शुरू की गई जिसके अन्तर्गत जिन आबंटियों ने 30.9.97 तक बकाया राशि जमा कर दी थी उन्हें जुर्माने में 43% रियायत दी गई तथा जिन आबंटियों ने बकाया राशि 1.10.97 से 31.12.97 तक जमा की उन्हें 37% रियायत दी गई। जुर्माना रियायत स्कीम को 30.6.98 तक बढ़ा दिया गया है। इस स्कीम के अन्तर्गत जुर्माने में 37% रियायत दी जा रही है। जुर्माने में रियायत देने की दूसरी कोई भी स्कीम डीडीए में विचाराधीन नहीं है।

Towns Covered under UAWSS in Maharashtra

1342. SHRI SURYABHAN PATIL VAHADANE: Will the Minister of URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) the towns which are covered under the Urban Accelerated Water Supply Scheme in Maharashtra State;

(b) the salient features of the scheme; and

(c) the number of such schemes sponsored by Government of Maharashtra and how many have got for approval from Government?

THE MINISTER OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHRI RAM JETHMALANI): (a) The accelerated Urban Water Supply Programme (AUWSP) is applicable to towns having population less than 20,000 as per 1991 census.

(b) The focus of the scheme is to provide water supply to the smaller towns which have lower economic base and which were not being given priority by the State Governments. While approving the scheme, efforts are made to ensure that the unserved population of the town is provided with safe drinking water, 95% dependability and reliability of water source is established and plan for sustainable operation and maintenance is evolved. The scheme is funded by the Central/State Governments on an equal sharing basis.

(c) The Government of Maharashtra has forwarded 29 schemes, out of which 10 schemes at an estimated cost of Rs. 1371.10 lakhs involving Central share of Rs. 685.55 lakhs have been approved.

लक्ष्मीबाई नगर में झुग्गियां

1343. **श्रीमती मालती शर्मा:** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लक्ष्मीबाई नगर में बारात घर से दिल्ली हाट तक और डिस्पेंसरी के पीछे झुग्गियों की संख्या में